न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/71/2022

समीना पत्नि स्व. ईशा जाति मेव निवासी ग्रांम झांतली तह0 सीकरी जिला भरतपुर हाल आबाद ग्रांम भुआपुरगढी पोस्ट डाबक तहसील सीकरी जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सीकरी जिला भरतपुर

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 7.09.2022**

अपीलार्थी समीना पत्नि स्व. ईशा जाति मेव निवासी ग्रांम झांतली तह0 सीकरी जिला भरतपुर हाल आबाद ग्रांम भुआपुरगढी पोस्ट डाबक तहसील सीकरी जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सीकरी जिला भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 6.7.2022 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सीकरी जिला भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सीकरी जिला भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/651 दिनांक 23.08.2022 के द्वारा लोक सूचना तहसीलदार सीकरी जिला भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना तहसीलदार सीकरी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि उसे लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सीकरी जिला भरतपुर द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सीकरी जिला भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना से अवगत नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते है तथा अपीलार्थी सूचना निशुल्क पाने का हकदार भी है।

अतः आदेश है किः—

उपरोक्तानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना तहसीलदार सीकरी को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे, सूचना पर लगने वाला शुल्क सम्बन्धित दोषी कार्मिक से वसूल किया जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सीकरी को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर